न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–205/2020(जीसीएमएस नं. 2020/00092)

1. भागीरथ आयु 65 वर्ष पुत्र हनुमान, जाति मेघवाल, निवासी निजामपुरा ओजटू, तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. **श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 19.01.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2013 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा ने अपीलान्ट को कस्बा चिड़ावा के खसरा नम्बर 288/283 रकबा 17.12 हैक्टयर गैर मुमकिन जोहड़ में से 476 वर्गमीटर पर चारदीवारी बनाने का अतिक्रमी मानकर अपीलान्ट को दण्डस्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान राशि वसूली व मौका से बेदखली किये जाने का आदेश दिनांक 29.05.2013 को विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरित पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष प्रस्तुत की गई थी किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा भी प्रकरण के वास्तविक तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2013 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2012 के अवलोकन करने पर हल्का पटवारी ने 40 फीट लम्बाई में नींव खोदने का कार्य चालू होना पाया लेकिन नींव की खुदाई पर उसको पुनः समतल करना पाया इस रिपोर्ट के मुताबिक मौका रिपोर्ट इस ओर इंगित करती है कि अपीलान्ट ने मौके पर कोई अतिक्रमण नही कर रखा था तथा 40 फीट लम्बाई के बाबत नींव खोदकर समतल करना अंकित किया है तो यहा यह बात साबित होती है कि हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित नही किया कि अपीलान्ट की मंशा कितनी वर्गगज भूमि पर अतिक्रमण करने की थी या किस कोण से कितनी वर्गगज पर अतिक्रमण होने की संभावना थी। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष अपीलान्ट पर मुकदमा विचाराधीन रहते हुये दिनांक 04.01.2013 को हल्का पटवारी पुनः मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करता है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

उस रिपोर्ट में यह तक भी अंकित नही किया है कि कितना लम्बा, कितना चौका मौके पर निर्माण कार्य चालू था तथा यह निर्माण कितने वर्गगज में था इस प्रकार से दिनांक 04.01.2013 को भी मौके पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट स्पष्ट नही हो पा रही है कि अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण किया हो उसके बाद भी दिनांक 29.05.2013 अधीनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड अप्लाई किये ही अपीलान्ट को 476 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये बेदखल किये जाने का विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चिड़ावा के समक्ष अपीलान्ट ने अपना जवाब व सबूत पेश करने चाहे लेकिन तहसीलदार ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना करते हुये अपीलार्थी के सबूत व दस्तावेज लेने से मनाकर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुकूल नही था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2013 पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील के समस्त तथ्यों के मद्देनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2013 एवं तहसीलदार चिड़ावा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2013 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 288/83 किस्म गैर मुमकिन जोहड़ में से 476 वर्गमीटर पर पक्की चारदीवारी कर अतिक्रमण किया गया जियकी पुष्टि निरीक्षक भू अभिलेख की जॉच रिपोर्ट से होती है व अपीलार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अपना स्वामित्व होने के सम्बन्ध न्यायालय हाजा अथवा अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नही किये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

(अन्तरसिंह नेहरा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
19/1/23